भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1271

11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में इस्पात संयंत्र

1271. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ओडिशा में जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की प्रगति की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ओडिशा में इस्पात परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अथवा पर्यावरणीय मंजूरी में किन्हीं चुनौतियों की पहचान की है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान ओडिशा में इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि पर ओडिशा के इस्पात क्षेत्र के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) ओडिशा में इस्पात उत्पादन में स्थायित्व और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र की स्थापना और उसकी प्रगति के संबंध में इस्पात कंपनियों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता, बंदरगाह से दूरी, लॉजिस्टिक आदि को शामिल करते हुए तकनीकी वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को इस्पात उद्योग तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। यह नीति कच्चे माल की सुरक्षा, बेहतर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, कम आयात निर्भरता और आत्म निर्भारता

जारी....2/-

को प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कम लागत पर ध्यान देता है। यह सामान्य रूप से सभी राज्यों और इस्पात क्षेत्र पर लागू है।

(ङ): इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण (डी-कार्बोनाइजेशन) और संसाधन दक्षता में सुधार लाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है तथा इसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रूपरेखा तैयार करती है।

ii. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक उपलब्ध कराने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण मानक जारी किया है, जो इस्पात उद्योग के हरित अंतरण में सहायक है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और इस मिशन के तहत वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डाईरेक्ट रिड्यूस आयरन (डीआरआई) का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और कोल/कोक खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए एक पॉयलट परियोजना प्रदान की है।

iv. इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 में इस्पात बनाने में कोयले की खपत कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटरयान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021 में इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

vi. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

vii. राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना द्वारा इस्पात उद्योग ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

******